(वाद सं0–3092/4/26/2020)

23.03.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, विजया लक्ष्मी मिश्रा के पति, स्व0 तारानाथ मिश्र, भूतपूर्व सहायक शिक्षक, राजकीय बालक उच्च विद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना के बकाया वेतनादि के भुगतान से संबंधित है।

उक्त पर निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के पति, स्व0 तारानाथ मिश्र को बिहार शिक्षा सेवा में संविलियन उपरांत प्रदत्त प्रोन्नति के आलोक में बकाया अन्तर राशि (रुपये–11,71,187.00/–) का भुगतान परिवादी को उसके बैंक खाता के माध्यम से किया जा चुका है। उनकी ओर से प्रसंगाधीन परिवाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अब, जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थित में निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–31–29/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक